[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्यांक- 06/2023-सीमाशुल्क

दिल्ली, तारीख1 फरवरी, 2023

सा.का.नि......(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्कअधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>अधिसूचना संख्यांक और तारीख</th><th>संशोधन</th></tr>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अधिसूचना सं. 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 सा.का.नि. सं. 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999</td><td>उक्त अधिसूचना में, सारणी में, सूची क में,-
(i) क्रम सं. 17 के सामने, स्तंभ (4) में,प्रविष्टि के स्थान पर,“फैराइट; प्री-कैल्सांइड फैराइट पाउडर”प्रविष्टि रखी जाएगी ;
(ii) क्रम सं. 225 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (vi) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात:-
“(vi) द्रव्य स्फटिक पोलीमर (एलसीपी)”;
(iii) क्रम सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
<table><tr><td>“225क</td><td>3824 99 00</td><td>पैलेडियम टेट्रा अमीन सल्फेट</td><td>संबंधक के भाग”;</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 सा.का.नि. सं. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002</td><td>उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 69 के सामने, स्तंभ (3) में “मोबाइल हैंड सेट के बैटरी” शब्दों के पश्चात् “या इलैक्ट्रानिकली औपरेटिड यानों की बैटरी” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017सा.का.नि. सं. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017</td>
<td>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
(i) क्रम सं. 6ख के सामने, स्तंभ (3) में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-
"(क) सैलुलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉडयूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए,कैमरे लैंस से भिन्न,इनपुट्स या पार्ट्स; "
(ii) क्रम सं. 6ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
<table>
<tr><td>'6खक</td><td>कोई अध्याय</td><td>(क) सैल्युलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए कैमरा लैंस
(ख) सैल्युलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लैंस के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या सब-पार्ट्स</td><td>शून्य
शून्य</td><td>1
1"</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:

1. मूल अधिसूचना सं. 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 14/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022,भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 88(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022,द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

2. मूल अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1मार्च, 2002 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 122(अ), तारीख 1मार्च, 2002,द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022,भारत के

राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 89(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

3. मूल अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 798(अ), तारीख 30जून, 2017द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022,भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 89(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।